सं. डब्ल्यू-02/0049/2019-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XXVII/19

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. कॉम्प्लैक्स,

लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003

दिनांक : 20 दिसम्बर, 2019

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अभ्यावेदनों/पत्रों - के संबंध में

अद्योहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर लोक उद्यम विभाग के दिनांक 30 मई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(22)/11-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-IX/2011 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन सीपीएसईज़, उनके कर्मचारियों और कर्मचारियों के संघों/यूनियनों के द्वारा डीपीई से कार्यालय पत्र व्यवहार के लिए उपयुक्त माध्यम बताता है। सीपीएसई, उनके कर्मचारियों और उनके संघों/यूनियनों से सृजित कोई भी पत्र जो लोक उद्यम विभाग को संबोधित हो, निश्चित रूप से सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। तथापि, स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद लोक उद्यम विभाग को सीपीएसईज़, उनके कर्मचारियों और उनके संघों से सीधे तौर पर बड़ी संख्या में अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त होते हैं।

2. इस लिए यह दोहराया जाता है कि, सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, सीपीएसईज़ उनके कर्मचारियों तथा उनके संघों से प्राप्त पत्रों को मंत्रालय/विभाग के सुविचारित मत एवं मौजूदा दिशा-निर्देशों के प्रकाश में, उनके एकीकृत वित्त इकाई (आईएफयूज़) के परामर्श से आंतरिक जांच के बाद ही डीपीई को भेजें। सीपीएसईज़ के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) से अनुरोध किया जाता है कि, वे इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सीपीएसईज़ से अनुरोध किया जाता है कि, वे इन दिशा-निर्देशों का व्यापक रूप से आंतरिक परिचालन करें।

(नरेश कुमार)

अवर सचिव

टेली. +91 11 24366820

सेवा में,

सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

1. सीपीएसईज़ के सभी सीएमडी/सीईओ को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. डीपीई की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोडिंग करने हेतु एनआईसी को।